अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 58/12

A1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 58/2012

1. सुखवन्त सिंह पुत्र चड सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, खाटलबाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खाटलवाबाना तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर

गैर निगरानीकर्त्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत खाटलबाना दिनांक 22.06.1999

उपस्थित :
श्री हरजीतसिंह जोली, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री जोगिन्द्रसिंह, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता
चौधरी श्री सुल्तान सिंह बुडानिया, गैरनिगरानीकर्ता
श्री सतपाल गुप्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश **दिनांक : 08.08.2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण का ग्रांम पंचायत खाटलबाना के आबादी खसरा के रिकार्ड के अनुसार गांव का किता नम्बर 231 तादादी 504 दरगज तथा किला नम्बर 276 तादादी 1815 दरगज प्लाट नम्बर 277 तादादी 1419 दरगज करतार सिह पुत्र जैमल सिंह, हरनेक सिंह,शमशेर सिंह पिसरान करतारसिंह के नाम से दर्ज था। जिसका आबादी रिकार्ड 14.08.1988 की नकल शामिल है उक्त भूखण्ड मालिकान के देहान्त के बाद इन के वारिसान के द्वारा जरिये बैयाना दिनांक 03.07.2006 से उक्त चारो अहाताजात की 5553 दरगज में से निस्फ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा में से 315 हिस्सा यानि 6663–2/3 वर्गफीट जगह को निगरानीकर्ता को बेचान किया गया तथा इस पर खरीद के रोज से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। इस प्रकार से वह इस मामले में उक्त अहाताजात के मालिकान करतार सिंह–हरनेक सिंह –शमशेर सिंह का उतराधिकारी बना तथा हकदार बना। अब अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा निगरानीकर्ता की जगह मे से कुछ जगह का पटटा छपड के साथ लगती जगह का अपने नाम से होने का कथन करके कुछ दिन पूर्व कब्जा करने व निर्माण करने की कोशिश करने लगा तो मैने रोका।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, खाटलबाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खाटलवाबाना तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत खाटलबाना दिनांक 22.06.1999

उपस्थित :
श्री हरजीतसिंह जोली, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री जोगिन्द्रसिंह, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता
चौधरी श्री सुल्तान सिंह बुडानिया, गैरनिगरानीकर्ता
श्री सतपाल गुप्ता, गैरनिगरानीकर्ता

आदेश **दिनांक : 08.08.2017**

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण का ग्रांम पंचायत खाटलबाना के आबादी खसरा के रिकार्ड के अनुसार गांव का किता नम्बर 231 तादादी 504 दरगज तथा किला नम्बर 276 तादादी 1815 दरगज प्लाट नम्बर 277 तादादी 1419 दरगज करतार सिह पुत्र जैमल सिंह, हरनेक सिंह,शमशेर सिंह पिसरान करतारसिंह के नाम से दर्ज था। जिसका आबादी रिकार्ड 14.08.1988 की नकल शामिल है उक्त भूखण्ड मालिकान के देहान्त के बाद इन के वारिसान के द्वारा जरिये बैयाना दिनांक 03.07.2006 से उक्त चारो अहाताजात की 5553 दरगज में से निस्फ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा में से 315 हिस्सा यानि 6663–2/3 वर्गफीट जगह को निगरानीकर्ता को बेचान किया गया तथा इस पर खरीद के रोज से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। इस प्रकार से वह इस मामले में उक्त अहाताजात के मालिकान करतार सिंह–हरनेक सिंह –शमशेर सिंह का उतराधिकारी बना तथा हकदार बना। अब अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा निगरानीकर्ता की जगह मे से कुछ जगह का पटटा छपड के साथ लगती जगह का अपने नाम से होने का कथन करके कुछ दिन पूर्व कब्जा करने व निर्माण करने की कोशिश करने लगा तो मैने रोका। उसने पटटा दिखाया व फोटो प्रति मेरे द्वारा प्राप्त की क्योंकि मेरा यह कहना था कि यह मेरी जगह है तथा मैने तुरन्त ही दिनांक 05.05.2012 को सरपंच ग्राम पचायत से उक्त पटटा के बारे में जानकारी चाही तो सचिव ग्रांम पंचायत के द्वारा 05.05.2012 को यह लिख कर दिया कि इस प्रकार का कोई पटटा ग्रांम पंचायत से जारी नही हुआ जिसकी नकल शामिल हाजा है। इस से यह पाया गया कि उक्त पटटा फर्जी बनाया गया है व इस का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी मेरे खरीद शुदा जगह पर कब्जा करना चाहता है। अतः यह निगरानी पेश करना जरूरी हो गया है जो निम्नलिखि आधारो पर है:–

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 58/12

A11/2

यह कि प्लाट नम्बर 07 का कथित पटटा दिनांक 22.06.1999 जो कि ग्राम पंचायत खाटलबाना से अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी होने के रिकार्ड की फोटो प्रति शामिल है, गलत खिलाफ कानून होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है। पटटा की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने की कोशिश पता चलने पर तुरन्त ही 05.05.2012 को लिखित में दरखास्त देकर कोशिश की तो पता चला कि इस प्रकार का कोई पटटा जारी नही हुआ है। पंचायत की लिखित प्रमाणपत्र की नकल शामिल है। अतः पटटा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना संभव नही है। अगर फिर भी रिकार्ड आने पर कोई पाया जाता है तो नकल लेकर पेश की जावेगी। आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0 दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश है। गलत पटटा के कारण निगरानी कर्ता के प्लाट की जगह पर कब्जा करने की कोशिश व निर्माण करने की कोशिश की जा रही है इसलिए यह निगरानी पेश करके पटटा को निरस्त करवाना जरूरी है।

निगरानी कर्ता को जो प्लाटस की जगह का बेचान किया गया वह रजि0 बैयानामा है तथा उप पंजीयक हिन्दुमलकोट से तस्दीक शुदा है तथा पंचायत के खसरा आबादी के रिकार्ड से मेल खता है क्योंकि उक्त चारो ही प्लाटस पंचायत रिकार्ड में मौजूद है जिसका रकबा का बेचान निगरानीकर्ता को किया गया है। पटटा जारी करने से पूर्व अगर वास्तव में जारी किया गया तो उक्त चारो प्लाटस के मालिकान को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना बुलाया ना ही सुना गया है। जबकि उक्त चारो प्लाटस का रिकार्ड सन 1999 से पहले का ही है। आबादी के खसरा रजि0 की नकल के साथ ही नक्शा की प्रति भी 14.08.1988 को जारी की हुई है तथा इस की नकल भी शामिल है। इस प्रकार से पुराना रिकार्ड मोजूद है तथा इस के बाद का रिकार्ड का ना होना यही दर्शाता है कि वास्तव में फर्जी पटटा बनाया गया है, जो निरस्तनीय है। अगर पटटा जारी हुआ है तो बिना नियमो की पालना के बिना पंचायत की मीटिंग के बिना जांच के ही जारी किया गया अथवा बनाया गया है जो कि अपराधिक कृत्य की परिभाषा में भी आता है। जालसाजी से बनाए पटटा के लिए कानून कोई मियाद नहीं है ना ही अधिनियम में मियाद का लिखा गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी के हक में बनाया गया, जारी किया गया पटटा दिनांक 22.06.1999 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता श्री सतपाल गुप्ता के माध्यम से गैरनिगरानीकर्ता ने प्रकरण में प्रस्तुत एक अवमानना प्रार्थना पत्रके सम्बन्ध में जबाब दिनांक 17.09.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्रांम पंचायत के प्लॉट नम्बर 07 वाके खाटलबाना के दिनांक 22.06.1999 को जारी किऐ गए पट्टे की निगरानी किया जाना स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नही है। पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2012 को यह कही भी लिखकर नही दिया कि इस प्लॉट का पट्टा हमारे रिकॉर्ड में नही है। क्योंकि पंचायत के द्वारा इस प्लॉट का रिकार्ड थाना हिन्दूमलकोट को दिया जाना व पुलिस के द्वारा उक्त रिकार्ड की रसीद दिया जाना पत्रावली में सलंग्न है। बार–बार तलब किये जाने के बावजूद भी पट्टे संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त नही हुआ। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के कथनानुसार इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नही है और उन्होने इस पर बहस के लिए निवेदन किया। उभयपक्ष को संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु हिदायत दी गई फिर भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। **जमा रिकॉर्ड के बारे में देखने**

[illegible] नही है। अगर फिर भी रिकार्ड आने पर कोई पाया जाता है तो [illegible] [illegible]कर पेश की जावेगी। आदेश 41 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0 दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश है। गलत पटटा के कारण निगरानी कर्ता के प्लाट की जगह पर कब्जा करने की कोशिश व निर्माण करने की कोशिश की जा रही है इसलिए यह निगरानी पेश करके पटटा को निरस्त करवाना जरूरी है।

निगरानी कर्ता को जो प्लाटस की जगह का बेचान किया गया वह रजि0 बैयानामा है तथा उप पंजीयक हिन्दुमलकोट से तस्दीक शुदा है तथा पंचायत के खसरा आबादी के रिकार्ड से मेल खता है क्योंकि उक्त चारो ही प्लाटस पंचायत रिकार्ड में मौजूद है जिसका रकबा का बेचान निगरानीकर्ता को किया गया है। पटटा जारी करने से पूर्व अगर वास्तव में जारी किया गया तो उक्त चारो प्लाटस के मालिकान को ना तो कोई नोटिस दिया गया ना बुलाया ना ही सुना गया है। जबकि उक्त चारो प्लाटस का रिकार्ड सन 1999 से पहले का ही है। आबादी के खसरा रजि0 की नकल के साथ ही नक्शा की प्रति भी 14.08.1988 को जारी की हुई है तथा इस की नकल भी शामिल है। इस प्रकार से पुराना रिकार्ड मोजूद है तथा इस के बाद का रिकार्ड का ना होना यही दर्शाता है कि वास्तव में फर्जी पटटा बनाया गया है, जो निरस्तनीय है। अगर पटटा जारी हुआ है तो बिना नियमो की पालना के बिना पंचायत की मीटिंग के बिना जांच के ही जारी किया गया अथवा बनाया गया है जो कि अपराधिक कृत्य की परिभाषा में भी आता है। जालसाजी से बनाए पटटा के लिए कानून कोई मियाद नहीं है ना ही अधिनियम में मियाद का लिखा गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी के हक में बनाया गया, जारी किया गया पटटा दिनांक 22.06.1999 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता श्री सतपाल गुप्ता के माध्यम से गैरनिगरानीकर्ता ने प्रकरण में प्रस्तुत एक अवमानना प्रार्थना पत्रके सम्बन्ध में जबाब दिनांक 17.09.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्रांम पंचायत के प्लॉट नम्बर 07 वाके खाटलबाना के दिनांक 22.06.1999 को जारी किऐ गए पट्टे की निगरानी किया जाना स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नही है। पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2012 को यह कही भी लिखकर नही दिया कि इस प्लॉट का पट्टा हमारे रिकॉर्ड में नही है। क्योंकि पंचायत के द्वारा इस प्लॉट का रिकार्ड थाना हिन्दूमलकोट को दिया जाना व पुलिस के द्वारा उक्त रिकार्ड की रसीद दिया जाना पत्रावली में सलंग्न है। बार–बार तलब किये जाने के बावजूद भी पट्टे संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त नही हुआ। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के कथनानुसार इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नही है और उन्होने इस पर बहस के लिए निवेदन किया। उभयपक्ष को संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु हिदायत दी गई फिर भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। **जमा रिकॉर्ड के बारे में देखने से स्पष्ट है कि सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 22 दिनांक 11.06.2014 से भी अवगत करवाया कि आपके चाहे गये रिकार्ड के सम्बन्ध में एक अन्य फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना हिन्दूमलकोटमें दर्ज है जो कि पुलिस थाना हिन्दूमलकोट द्वारा रिकॉर्ड न्यायिक मजिस्ट्रे संख्या 2 में जमा करवाया है। उक्त पत्र के साथ जमा रिकार्ड की रसीदे सलंग्न है। उक्त रसीदो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जो रिकार्ड पुलिस थाना हिन्दूमलकोट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेटसंख्या 02 में जमा करवाया गया है वह किसी गबन के मामले से सम्बन्धित प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त रिकार्ड में वाउचर, रसीद, मूल मस्ट्रोल, रोकड बही, एवं कार्यवाही रजिस्ट्रर शामिल है।**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 58/12

लिहाजा उभय पक्ष बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने दिनांक 04.08.2017 को अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत खाटलबाना के आबादी खसरा के रिकार्ड के अनुसार गांव का किता नम्बर 231 तादादी 504 दरगज तथा किला नम्बर 276 तादादी 1815 दरगज प्लाट नम्बर 277 तादादी 1419 दरगज करतार सिह पुत्र जैमल सिंह, हरनेक सिंह,शमशेर सिंह पिसरान करतारसिंह के नाम से दर्ज था। जिसका आबादी रिकार्ड 14.08.1988 की नकल शामिल है उक्त भूखण्ड मालिकान के देहान्त के बाद इन के वारिसान के द्वारा जरिये बैयाना दिनांक 03.07.2006 उे उक्त चारो अहाजात की 5553 दरगज में से निस्फ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा में से 315 हिस्सा यादिन 6663–2/3 वर्गफीट जगह को निगरानीकर्ता को बेचान किया गया तथा इस पर खरीद के रोज से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। अधिवक्ता निगरानी कर्ता ने ग्राम पंचायत के द्वारा लिखित में उपलब्ध कराये गये आशय के पत्र की ओर ध्यान दिलाया कि निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड अस्तित्व में नहीं है और यह भी कि " हम पट्टे का सत्यापन करने हेतु ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि इस नाम से ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में कोई पट्टा जारी नही किया गया है।यह पत्र दिनांक 05.05.2012 का है जिसमें साफ होता है कि कि इसके संबंध में कोई रिकॉर्ड न तो था और नही जमा करवाया गया है। इसलिए प्रस्तुत रिकॉर्ड में ही बहस सुनने का निवेदन किया। उभय पक्षो के उपस्थित अभिभाषक की बहस सुनी गई। सांय 4.45 पीएम पर अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील होने की बात कहकर श्री एस.एस. बुडानिया (चौधरी श्री सुल्तान सिंह बुंडानिया) उपस्थित हुए एवं बिना रिकॉर्ड बहस सुने जाने पर एतराज जताने लगे। उन्हें अवगत करवाया गयाकि न्यायलय की गत आदेशिका में दिये गये आदेश की पालना में कोई प्रयास क्यों नही किये। वे कोई सन्तोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दे पाए बल्कि उत्तेजित हो गए। उनकी ओर से भी उन्हे पक्ष रखने एवं बहस हेतु निवेदन किया। उनकी बहस भी सुनी लेकिन बार–बार रिकार्ड तलब करने की बात कहते रहे। जो रिकॉर्ड वे किसी न्यायलय में जमा होने का जिक्र कर रहे है। वह इस केस से किसी तरह से उपलब्ध पत्रो के आलोक में संबंधित नहीं है। **सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 32 दिनांक 06.06.2012 से निवेदन किया कि कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 22.06.1999, रसीद बुक, रोकड बही मुकदमा नम्बर 117/04 अन्तर्गत धारा 409–467–468–120 बी आईपीसी के अन्तर्गत हिन्दूमलकोट थाना में जमा था एवं पट्टा रजिस्टर 22.06.1999, नक्शा आबादी भूमि, आवंटन पत्रावली जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख निवासी खाटलबाना ,आदि रिकार्ड ग्राम पचात में उपलब्ध नही हैं।जमा रिकॉर्ड के बारे में देखने से स्पष्ट है कि सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 22 दिनांक 11.06.2014 से भी अवगत करवाया कि आपके चाहे गये रिकार्ड के सम्बन्ध में एक अन्य फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना हिन्दूमलकोटमें दर्ज है जो कि पुलिस थाना हिन्दूमलकोट द्वारा रिकॉर्ड न्यायिक मजिस्ट्रे संख्या 2 में जमा करवाया है। उक्त पत्र के साथ जमा रिकार्ड की रसीदे सलंग्न है। उक्त रसीदो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जो रिकार्ड पुलिस थाना हिन्दूमलकोट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेटसंख्या 02 में जमा करवाया गया है वह किसी ...**

जैनल सिंह, हरनेक सिंह,हरभजन सिंह पिसरान करतारसिंह के नाम से दर्ज था। जिसका आबादी रिकार्ड 14.08.1988 की नकल शामिल है उक्त भूखण्ड मालिकान के देहान्त के बाद इन के वारिसान के द्वारा जरिये बैयाना दिनांक 03.07.2006 उे उक्त चारो अहाजात की 5553 दरगज में से निस्फ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा में से 315 हिस्सा यादिन 6663–2/3 वर्गफीट जगह को निगरानीकर्ता को बेचान किया गया तथा इस पर खरीद के रोज से कब्जा निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। अधिवक्ता निगरानी कर्ता ने ग्रांम पंचायत के द्वारा लिखित में उपलब्ध कराये गये आशय के पत्र की ओर ध्यान दिलाया कि निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई रिकार्ड अस्तित्व में नहीं है और यह भी कि " हम पट्टे का सत्यापन करने हेतु ग्रांम पंचायत का रिकॉर्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि इस नाम से ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में कोई पट्टा जारी नही किया गया है।यह पत्र दिनांक 05.05.2012 का है जिसमें साफ होता है कि कि इसके संबंध में कोई रिकॉर्ड न तो था और नही जमा करवाया गया है। इसलिए प्रस्तुत रिकॉर्ड में ही बहस सुनने का निवेदन किया। उभय पक्षो के उपस्थित अभिभाषक की बहस सुनी गई। सांय 4.45 पीएम पर अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील होने की बात कहकर श्री एस.एस. बुडानिया (चौधरी श्री सुल्तान सिंह बुंडानिया) उपस्थित हुए एवं बिना रिकॉर्ड बहस सुने जाने पर एतराज जताने लगे। उन्हें अवगत करवाया गयाकि न्यायलय की गत आदेशिका में दिये गये आदेश की पालना में कोई प्रयास क्यों नही किये। वे कोई सन्तोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दे पाए बल्कि उत्तेजित हो गए। उनकी ओर से भी उन्हे पक्ष रखने एवं बहस हेतु निवेदन किया। उनकी बहस भी सुनी लेकिन बार–बार रिकार्ड तलब करने की बात कहते रहे। जो रिकॉर्ड वे किसी न्यायलय में जमा होने का जिक्र कर रहे है। वह इस केस से किसी तरह से उपलब्ध पत्रो के आलोक में संबंधित नहीं है। **सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 32 दिनांक 06.06.2012 से निवेदन किया कि कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 22.06.1999, रसीद बुक, रोकड बही मुकदमा नम्बर 117/04 अन्तर्गत धारा 409–467–468–120 बी आईपीसी के अन्तर्गत हिन्दूमलकोट थाना में जमा था एवं पट्टा रजिस्टर 22.06.1999, नक्शा आबादी भूमि, आवंटन पत्रावली जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख निवासी खाटलबाना ,आदि रिकार्ड ग्रांम पचात में उपलब्ध नही हैं।जमा रिकॉर्ड के बारे में देखने से स्पष्ट है कि सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 22 दिनांक 11.06.2014 से भी अवगत करवाया कि आपके चाहे गये रिकार्ड के सम्बन्ध में एक अन्य फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना हिन्दूमलकोटमें दर्ज है जो कि पुलिस थाना हिन्दूमलकोट द्वारा रिकॉर्ड न्यायिक मजिस्ट्रे संख्या 2 में जमा करवाया है। उक्त पत्र के साथ जमा रिकार्ड की रसीदे सलंग्न है। उक्त रसीदो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जो रिकार्ड पुलिस थाना हिन्दूमलकोट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेटसंख्या 02 में जमा करवाया गया है वह किसी गबन के मामले से सम्बन्धित है। क्योंकि उक्त रिकार्ड में वाउचर, रसीद, मूल मस्ट्रोल, रोकड बही, एवं कार्यवाही रजिस्ट्रर से सम्बन्धित है।** अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कथित पट्टा को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री सतपाल गुप्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रिकार्ड उपलब्ध नही है रिकार्ड के अभाव में बहस किया जाना सम्भव नही है फिर कहा कि पट्टा को किसी ने चैलेज नही किया है एव पट्टा सही है या गलत रिकार्ड ही बता सकता है। रिकॉर्ड के अभाव में पट्टा का फैसला नही किया जा सकता । सिविल कोर्ट में पट्टा बाबत कार्यवाही की जानी चाहिए।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 28/12

A11/4

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 7.06.2012 की आदेशिका से स्पष्ट है कि रिकॉर्ड थाना में जमा है। रिकार्ड के सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना ने अपने पत्रांक 32 दिनांक 06.06.2012 से अवगत करवाया कि कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 22.06.1999, रसीद बुक, रोकड बही मुकदमा नम्बर 117/04 अन्तर्गत धारा 409–467–468–120 बी आईपीसी के अन्तर्गत हिन्दूमलकोट थाना में जमा था एवं पट्टा रजिस्टर 22.06.1999, नक्शा आबादी भूमि, आवंटन पत्रावली जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख निवासी खाटलबाना ,आदि रिकार्ड ग्रांम पचात में **उपलब्ध नही हैं।** आदेशिका दिनांक 06.02.2017 में स्पष्ट अंकन है कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं है इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2011 को पारित किया जा चुका है। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया जावें। **ग्रांम पंचायत की बैठक दिनांक दिनांक 05.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 02 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन में भी यही** स्पष्ट होता है कि जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम एक पट्टा साईज उत्तर–264, दक्षिण–231, पूर्व–242, पश्चिम–176 का पूर्व सरपंच मनफूल के फर्जी हस्ताक्षर से दिनांक 22.06.1999 का तैयार कर माननीय ग्राम न्यायालय श्रीगंगानगर में कैस दायर किया गया है। **" इस सम्बन्ध में बैठक में विचार विमर्श कियागया तथा रिकॉर्ड की तलाश की गई। रिकॉर्ड की तलाश करने पर पाया गया कि इस प्रकार का इतना बडा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नही है। अतः उक्त पट्टा फर्जी है इसलिए प्रकरण की पैरवी की जावें तथा फर्जी पट्टा के अधार पर जो पंचायत की आबादी भूमि हड़पने की जसवीर सिंह की जो मंशा है उसे नाकाम की जावें एवं जसवीर सिंह के विरूद्व कार्यवाही कर पंचायत की सरकारी भूमि को पंचायत के कब्जे में लिया जावें।"** निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना के पत्रांक 11 दिनांक 05.05.2012 मे अंकन है कि सलंग्न पट्टा जो ग्रांम पंचायत खाटलबाना जसवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख के नाम से उत्तर साईड 264 फुट पश्चिम साईड 176 फुट दक्षिण साईड 231 फुट एवं पूर्व साईड 242 फुट जारी किया हुआ है। इस पट्टे का ग्रांम पंचायत का रिकार्ड अवलोकन करने पर पाया कि इस नाम से ग्राम पंचायत के रिकार्ड में कोई पट्टा जारी नही किया गया। आपके द्वारा प्रस्तुत पट्टे के साईज का कोई भी पट्टा ग्रांम पंचायत खाटलबाना द्वारा जारी ही नही किया गया। नगरानीकर्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजा में पट्टा की फोटो प्रति पेश की है। उक्त पट्टा का दिनांक 22.06.1999 को जारी होना पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से न्यायलय इस नतीजे पर पहुँची है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2011, सचिव ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 05.05.2012 तथा ग्रांम पंचायत के रिकॉर्ड की सूची, जो जमा करवाया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया है और इसलिए रिकॉर्ड की उपलब्धता अस्तित्व में नही है।

अन्तर्गत हिन्दूमलकोट थाना में जमा थी एवं पट्टा रजिस्टर 22.06.1999, नक्शा आबादी भूमि, आवंटन पत्रावली जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख निवासी खाटलबाना ,आदि रिकार्ड ग्रांम पचात में **उपलब्ध नही हैं।** आदेशिका दिनांक 06.02.2017 में स्पष्ट अंकन है कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं है इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2011 को पारित किया जा चुका है। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया जावें। **ग्रांम पंचायत की बैठक दिनांक दिनांक 05.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 02 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन में भी यही** स्पष्ट होता है कि जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम एक पट्टा साईज उत्तर–264, दक्षिण–231, पूर्व–242, पश्चिम–176 का पूर्व सरपंच मनफूल के फर्जी हस्ताक्षर से दिनांक 22.06.1999 का तैयार कर माननीय ग्राम न्यायालय श्रीगंगानगर में कैस दायर किया गया है। " **इस सम्बन्ध में बैठक में विचार विमर्श कियागया तथा रिकॉर्ड की तलाश की गई। रिकॉर्ड की तलाश करने पर पाया गया कि इस प्रकार का इतना बडा पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नही है। अतः उक्त पट्टा फर्जी है इसलिए प्रकरण की पैरवी की जावें तथा फर्जी पट्टा के अधार पर जो पंचायत की आबादी भूमि हड़पने की जसवीर सिंह की जो मंशा है उसे नाकाम की जावें एवं जसवीर सिंह के विरूद्व कार्यवाही कर पंचायत की सरकारी भूमि को पंचायत के कब्जे में लिया जावें।''** निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सचिव ग्राम पंचायत खाटलबाना के पत्रांक 11 दिनांक 05.05.2012 मे अंकन है कि सलंग्न पट्टा जो ग्रांम पंचायत खाटलबाना जसवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह जटसिख के नाम से उत्तर साईड 264 फुट पश्चिम साईड 176 फुट दक्षिण साईड 231 फुट एवं पूर्व साईड 242 फुट जारी किया हुआ है। इस पट्टे का ग्रांम पंचायत का रिकार्ड अवलोकन करने पर पाया कि इस नाम से ग्राम पंचायत के रिकार्ड में कोई पट्टा जारी नही किया गया। आपके द्वारा प्रस्तुत पट्टे के साईज का कोई भी पट्टा ग्रांम पंचायत खाटलबाना द्वारा जारी ही नही किया गया। नगरानीकर्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजा में पट्टा की फोटो प्रति पेश की है। उक्त पट्टा का दिनांक 22.06.1999 को जारी होना पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से न्यायलय इस नतीजे पर पहुंची है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2011, सचिव ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 05.05.2012, तथा ग्रांम पंचायत के रिकॉर्ड की सूची, जो जमा करवाया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया है और इसलिए रिकॉर्ड की उपलब्धता अस्तित्व में नही है। जारी पट्टे का अवलोकन किया जो प्रचलित नियमों के अधीन जारी नही होना पाया जाता है। उक्त पट्टा जारी होने की दिनांक को प्रचलित पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं तद्धीन बनाए गए नियम 1996 के प्रावधानो के तहत और विहित प्रारूप में नही है। पट्टा निशुल्क जारी होने का विवरण पट्टा पर अंकित है परन्तु प्रचलित नियमों में ऐसा प्रावधान नही है कि राज्य सरकार की पुर्वानुमति बगैर कोई पट्टा निशुल्क जारी किया जा सकता है। पट्टे के सम्बन्ध में एक रसीद भी अभिलेख पर है जिसका न तो कोई क्रमांक है और न ही जारी करने की दिनांक । यह रसीद 100/–रूपये की है परन्तु किस मद के लिए जारी की गई है, स्पष्ट नही है। यदि पट्टा निशुल्क दिया गया है तो अप्रार्थी संख्या 02 के नाम कथित रसीद थी किस कारण जारी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

की गई है। इस रसीद में भी अप्रार्थी सख्या 02 का नाम गलत अंकित किया हुआ है। प्रचलित पंचायत राज नियम 1996 में जमी पट्टा निशुल्क या रियायती दर पर दिया जाता है उसका क्षैत्रफल 150 वर्गगज निहित किया हुआ है। वर्तमान नियमों में निगरानीधीन पट्टे की इतनी बडी साईज (**उत्तर साईड 264 फुट पश्चिम साईड 176 फुट दक्षिण साईड 231 फुट एवं पूर्व साईड 242** फुट) का पट्टा निशुल्क दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत यही निष्कर्ष है कि निगरानीधीन पट्टा विधिसम्मत नहीं है लिहाजा खारिज किये जाने योग्य है।

पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं तद्धीन बने नियमों के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा जारी करने वाली संस्था ग्रांम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2011 इस पट्टे के सम्बन्ध में निर्मूल नहीं है। ग्रांम पंचायत में कथित पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं होने तथा पट्टे की प्रचलित नियमों में वैद्यता नही होने के कारण निगरानीधीन पट्टा दिनांक 22.06.1999 जो अप्रार्थी संख्या 02 जसवीरसिंह पुत्र जगदेव सिह के नाम जारी है, को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मय रेकार्ड पालनार्थ भेजी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/12

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर